<u>भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फाइल संख्या 6/56/2020-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 09 नवंबर, 2021

अधिसूचना

<u>जांच समाप्ति</u>

<u>मामला संख्याः एडी (ओआई) 48/2020</u>

विषय: चीन जन.गण., थाइलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोलर सैल चाहे मॉड्यूल या पैनल में संयोजित हों अथवा नहीं, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच समाप्ति ।

क. प्रस्तावना

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखतें हुए मै. इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे यहां आगे "आईएसएमए" अथवा 'आवेदक' भी कहा गया है) ने (i) मै. मुन्द्रा सोलर पीवी लिमिटेड (एसईजैड यूनिट); (ii) मै. जुपिटर सोलर पावर लिमिटेड (डीटीए यूनिट) और (iii) मै. जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड (डीटीए यूनिट) की ओर चीन जन.गण., थाइलैंड और वियतनाम (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'सोलर सैल' चाहे मॉड्यूल या पैनल में संयोजित हों अथवा नहीं, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और उन पर पाटनरोधी शुलक लगाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत की थी ।

3. तद्नुसार, प्राधिकारी ने चीन जन.गण., थाइलैंड और वियतनाम के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हुए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/56/2020-डीजीटीआर दिनांक 15 मई, 2021 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी ।

ख. प्रक्रिया

4. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरूआत की कार्रवाई से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया ।

5. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के बाद जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भेजी थी और उनसे नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच शुरूआत अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था ।

6. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति उपलब्ध कराई थी ।

7. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने-अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था । उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ दूतावास को भी भेजी गई थी ।

8. जांच शुरूआत अधिसूचना और सूचना के रूप में संबद्ध देशों से निर्यातकों/उत्पादकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर और कानूनी अनुरोध प्रस्तुत करके प्राधिकारी को उत्तर दिया था ।

9. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं थी ।

10. प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए दिनांक 17 नवंबर, 2021 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की थी ।

11. घरेलू उद्योग द्वारा दायर वापसी आवेदन को सभी इच्छुक पक्षों को परिचालित किया गया था।

ग. <u>मुकदमा</u>

12. पूर्वोक्त जांच शुरूआत अधिसूचना को सोलर पावर डेवलपर्स एसोसिएशन (एसपीडीए) ने घरेलू उद्योग को क्षति के अभाव, याचिकाकर्ता की अपर्याप्त योग्यता, अन्य प्रयोक्ता उद्योग के हित पर विचार न करने, विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का गलत ढंग से परिभाषित दायरा जैसे मुद्दों का आरोप लगाते हुए दायर की गई रिट याचिका (डब्ल्यू.पी. (सी)5882/2021) के माध्यम से माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है । दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 04.06.2021 के अपने आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता (एस पी डी ए) को यह विशिष्ट राहत प्रदान की है कि डी जी टी आर के समक्ष उत्तर प्रस्तुत करने की समय सीमा सुनवाई की अगली तारीख (19.7.2021) से आगे किसी तारीख तक बढ़ा दी जाएगी । यह मामला इस समय उच्च न्यायालय समक्ष लंबितहै ।

13. उक्त याचिका (डब्ल्यू.पी. (सी)5882/2021) के संबंध में दिनांक 04.06.2021 के उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध डी जी टीआर द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी (सी) 12057/2021 दायर की गई थी जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 09.08.2021 के अपने आदेश के जरिए खारिज कर दिया था ।

14. मौखिक सुनवाई के बाद कुछ निर्यातकों/उत्पादकों ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के बाद दायर अपने प्रश्नावली के उत्तर को स्वीकार करने की प्रार्थना करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि विलंबित उत्तरों को स्वीकार करने के संबंध में 19.04.2022 को अंतिम सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय ने डी जी टी आर के इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए अपना निर्णय दिया कि " दिनांक 4.06.2021 का उच्च न्यायालय का आदेश एक निजी आदेश है और न्यायालय द्वारा राहत को इसलिए बढ़ाया गया था ताकि संबंधित याचिकाकर्ता (आयातक) निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सूचना देने में सक्षम हों और न कि संबंधित याचिकाकर्ता (निर्यात) सक्षम हों ।" तथापि, माननीय न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि दिनांक 25 जून, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर उत्तरों को प्रत्येक याचिकाकर्ता द्वारा आर्म्ड फोर्सेज बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड में 1,00,000/- रूपए की लागत के भुगतान के अधीन रिकॉर्ड में लिया जाएगा ।

घ. घरेलू उद्योग से प्राप्त अनुरोध

15. आवेदक ने दिनांक 14 जुलाई, 2022 के एक पत्र/ई-मेल के माध्यम से यह बताते हुए इस विषय पर अपने आवेदन को वापस ले लिया है कि:

> "आई एस एम ए अनुरोध करता है कि जांच शुरूआत के बाद भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2022 से टैरिफ शीर्षों 8541.40.11 और 8541.40.12 पर क्रमश: 25 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का मूल सीमाशुल्क शुरू किया है । विचाराधीन उत्पाद के संपूर्ण दायरे को शामिल करने वाली उक्त लेवी ने यद्यपि, पूर्ण रूप से नहीं तथापि, पर्याप्त रूप से संबद्ध देशों से पाटन के कारण घरेलू उद्योग द्वारा झेले जा रहे कीमत दबाव को कम कर दिया है। "

ङ. घरेलू उद्योग की वापसी के आवेदन पर टिप्पणियां

16. घरेलू उद्योग द्वारा दायर उपर्युक्त निकासी आवेदन अन्य इच्छुक पार्टियों को परिचालित किया गया था। अधिकांश हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के वापसी आवेदन का समर्थन किया और जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने जांच को समाप्त करने का अनुरोध करते हुए यह भी अनुरोध किया कि प्राधिकारी को पाटन और क्षति के दावों को सत्यापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से जांच करनी चाहिए ।

च. प्राधिकारी द्वारा जांच

17. घरेलू उद्योग द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2022 के उनके पत्र के माध्यम से किए गए अनुरोध की जांच की गई है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली का नियम 14(क) निम्नानुसार उल्लेख करता है :

"जांच की समाप्ति - निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके किसी जांच को तत्काल समाप्त कर देंगे यदि-

(क)उन्हें पीड़ित घरेलू उद्योग जिसके अनुरोध पर जांच की शुरूआत की गई थी, से या उसकी ओर से लिखित में ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होता है ।"

18. यह नोट किया गया है कि नियमावली का नियम 14 कतिपय स्थितियों में पाटनरोधी जांच की समाप्ति का प्रावधान करता है जिनमें ऐसी स्थिति शामिल है, जबकि उस पीड़ित घरेलू उद्योग जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, द्वारा आवेदन वापस ले लिया जाता है । नियमावली का नियम 14(क) में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके जांच समाप्त कर देंगे यदि उन्हें उस पीड़ित घरेलू उद्योग, जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, से या उसकी ओर से लिखित में ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होता है ।

19. वर्तमान जांच डीटीए इकाइयों अर्थात मै. जुपिटर सोलर पावर लिमिटेड और मै. जुपीटर इंटरनेशनल लिमिटेड के रूप में घरेलू उद्योग मानते हुए आई एस एम ए द्वारा दायर आवेदन के आधार पर शुरू की गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 14(क) में प्राधिकारी के लिए तब जांच समाप्त करना अपेक्षित है जबकि उस घरेलू उद्योग, जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, द्वारा जांच की समाप्ति के लिए लिखित अनुरोध प्राप्त होता है ।

20. मुकदमे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (डब्ल्यू.पी.(सी) 5882/2021) में दिनांक 05.10.2021 के अपने आदेश के माध्यम से प्राधिकारी को जांच की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, तथापि,उन्होंने प्राधिकारी को यह निदेश दिया था कि जांच के संचालन से उत्पन्न कोई आदेश केवल माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति से ही पारित किया जाना चाहिए ।

21. तदनुसार, घरेलू उद्योग से आवेदन वापस लेने के अनुरोध की प्राप्ति के बाद, प्राधिकारी ने सी.एम. आवेदन. 46567/2022 द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन

दायर कर समाप्ति अधिसूचना प्रकाशित करने की अनुमति मांगी। आवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा 01.11.2022 को डब्ल्यू.पी.(सी) 5882/2021 के साथ सुनवाई की गई, माननीय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

> *"... उपरोक्त कथनों के आलोक में, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है और वर्तमान रिट याचिका आवेदन के साथ संतुष्ट होने पर निस्तारित की जाती है। अंतरिम आदेश, यदि कोई हों, रद्द हो जाते हैं।"*

22. जहां तक पाटन और क्षति विश्लेषण पर विश्लेषण पूरा करने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि वापसी के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग और तत्काल जांच के तथ्यों और परिस्थितियों को सामने रखा गया है, इस तरह की कार्रवाई अयोग्य है।

छ. निष्कर्ष

23. घरेलू उद्योग, आईएसएमए द्वारा नियमावली का नियम 14(क) के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पूर्वोक्त अनुरोध और सी.एम. आवेदन. 46567/2022 एवं डब्ल्यू.पी. (सी) 5882/2021 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को मद्देनजर प्राधिकारी चीन जन.गण., थाइलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोलर सैलों, चाहे मॉड्यूल या पैनल में संयोजित हों अथवा नहीं, के आयातों के विरूद्ध अधिसूचना सं. 6/56/2020-डी जी टी आर के माध्यम से दिनांक 15 मई 2021 को शुरू की गई जांच को एतद्द्वारा समाप्त करते हैं ।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी